रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264916
SG-DL-E-23072025-264916

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ़ 30, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 136
No. 211]	DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947	[N. C. T. D. No. 136

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

(महानिदेशालय गृह रक्षक)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2025

फा.सं. स्था. 3(156)/गृ.सा./2017/5342/2119.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना जीएसआर–840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्टोर पर्यवेक्षक, गृह रक्षक दिल्ली के पद हेतु भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा महानिदेशालय गृह रक्षक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टोर पर्यवेक्षक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**—(क) इन भर्ती नियमों को महानिदेशालय गृह रक्षक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्टोर पर्यवेक्षक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जायेगा।

   (ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे

2. **अनुप्रयोगः**—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादिः**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यता तथा संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यताः**—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्तिः**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परामर्श करके, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचावः**—इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

''अनूसूची''

1.	**पदनाम**	:	**स्टोर पर्यवेक्षक**
2.	**पदों की संख्या**	:	1* (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा , समूह ''ग'' अराजपत्रित, अलिपिकीय,
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29,900–92,300/—रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु सीमा एवं भौक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	संयुक्त पद्धति द्वारा (पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति)
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती हानी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/आमेलन किया जाना है**	:	संयुक्त पद्धति द्वारा (पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी; क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर–4 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा समकक्ष; तथा

			(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी सरकारी विभाग में वस्त्र या जनरल स्टोर के प्रभारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव, अधिमान्यतः सेना या एनसीसी अथवा होम गार्ड में। 3. भंडारण वस्तुओं के इंडेटिंग संग्रहण मामले तथा निपटान से संबंधित नियमों तथा प्रक्रिया से पूर्णतः परिचित होना चाहिए। **टीप– 1:** [प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।] **टीप– 2:** प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। **टीप– 3:** यदि विभागीय उम्मीदवार पद पर नियुक्ति हेतु चयनित है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा; अन्यथा, पद को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भरा जाएगा, जिसके अंत में विभागीय अधिकारी को पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार करने का अवसर दिया जाएगा।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	लागू नहीं
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राखी सिंघल, उप–सचिव (गृह रक्षक) गृह विभाग

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

(Directorate General of Home Guards)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2025

F.No. Estt.3(156)/HG/2017/5342/2119.—In **exercise** of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification GSR-840 dated. 13th July, 1959 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of Store Supervisor Home Guards Delhi, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of **Store Supervisor** in the Directorate General of Home Guards, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement:-

i. These Recruitment Rules may be called the Store Supervisor Recruitment Rules, 2025 in the Directorate General of Home Guards, Government of NCT of Delhi.

ii. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Application:-**These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of Posts, classification and level in pay matrix:-** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Column No. (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said schedule.

5. **Disqualification:-**No person;

   a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
   b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these Rules.

6. **Power to relax:-**Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, in consultation with the Services Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi, may relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:-**Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**No. of the Post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale**	**Whether Selection or Non Selection**	**Age limit for direct recruitment**	**Educational and other qualifications for direct recruitment**
1	2	3	4	5	6	7
Store Supervisor	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-5 (Rs.29,200-92,300) in Pay Matrix.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age limit, educational qualifications prescribed for Direct recruitment will apply in case of promotes.	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by Promotion/Deputation/ Absorption grades from which promotion /deputation /transfer/absorption to be made**	**(If a DPC exists, what is its composition)**	**(Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment).**
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	By Composite Method (Promotion/ Deputation).	By Composite Method **(Promotion/Deputation)** Officials under the Central/	Not Applicable	Not Applicable

			State Government/Union Territories :- A (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With 5 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 or equivalent in the parent cadre or department, AND B. Possessing the following educational qualifications and experience:- 1. Pass in 12th Standard from a recognized Board. 2. 2 years experience as Incharge of a clothing or General Store in a Govt. department, preferably in Army or NCC or Home Guards. 3. Should be fully conversant with the rules and procedure relation to indenting stocking issue and disposal of store items. **Note-1**: [Period of deputation (ISTC) including period of deputations (ISTC) in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.] **Note-2:** The Maximum age		

			limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note-3:**If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it is to be treated as having been filled by promotion; otherwise, the post is to be filled by deputation/ short-term contract for the prescribed period of deputation/short-term contract at the end of which the departmental officer will again be afforded an opportunity to be considered for appointment to the post.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAKHI SINGHAL, Dy. Secy. (Home Guards) Home Department

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA